

डिक्री वमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-394 / 2025

1. सतविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख नि.लम्बीढाब तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. जगदीप सिंह पुत्र संरजीत सिंह जाति जटसिख नि.लम्बीढाब तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम

1. पलविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह
2. राजेन्द्र सिंह मान पुत्र दर्शन सिंह
3. सुखपाल कौर पत्नी मानसिंह
4. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया

जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

-प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबके हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय सहू वकील प्रतिवादी स 1 तहसील मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- चक.न 1 एन.के. आर. ज.स. 2073-2076 खाता स 96/95 मे वादीया स. 1 को 0.236 है का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रति स 1 व 2 का नाम कलमजन करने व इसी चक के खाता स 119/20 मे वादीया स 1 को 0.253 है भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रति स 3 का नाम कलमजन करने एवं इसी चक के खाता स 129/90 मे वादीया स 1 को 0.1475 है की खातेदार काशतकार घोषित कर वादी स 2 व प्रतिवादी स 1 व 2 का नाम कलमजन करने तथा इसी चक के खाता स 42/45 मे वादी स 2 को 0.1265 है भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इसी चक के खाता स 97/45 मे प्रतिवादी स 3 को प.न. 161/143 मु.न 36 किला न 8/0.253 है भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम कर उक्त खाता से वादीया स 1 का 0.253 है हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.9.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया